संख्या-1/2024/1063/43-1-2024

प्रेषक,

डा० शील अस्थाना,
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निरीक्षक,
राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय,
उ०प्र०, प्रयागराज।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊः 12 नवम्बर, 2024

विषयः- राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ०प्र०, प्रयागराज के एक निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नया सरकारी वाहन महिन्द्रा बुलैरो जीप (Model N-10 OPT BS 6.2) क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र सं०- संख्या-160/पी०ए०/चार-14/2020-21, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ०प्र०, प्रयागराज के एक निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी के उपरान्त प्रतिस्थापन स्वरूप नया सरकारी वाहन महिन्द्रा बुलैरो जीप (Model N-10 OPT BS 6.2) क्रय किए जाने हेतु धनराशि रु० 10,96,018/- (रूपये दस लाख छियानबे हजार अठारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ०प्र०, प्रयागराज के एक निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी के उपरान्त प्रतिस्थापन स्वरूप नया सरकारी वाहन महिन्द्रा बुलैरो जीप (Model N-10 OPT BS 6.2) क्रय किए जाने हेतु रु० 10,96,018/- (रूपये दस लाख छियानबे हजार अठारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रश्नगत धनराशि व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर-शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वाहन का क्रय डी०जी०एस० एण्ड डी० रेट कान्ट्रैक्ट की दर के अनुसार किया जाएगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों की वैधता सुनिश्चित कर दी जायेगी।

(4) मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्दम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 एवं समय-समय पर राज्य कर द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु० 10,96,018/- (रूपये दस लाख छियानबे हजार अठारह मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय के अन्तर्गत मानक मद संख्या 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू०ओ०-ई-9-228-दस-2024, दिनांक 11 नवम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० शील अस्थाना)
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

संख्या-1/2024/1063(1)/43-1-2024, दिनांक 12 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० शील अस्थाना)
संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।